[2020] 14 एस. सी. आर. 294

डॉ. नरेश कुमार मंगला

वी.

एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। 872-873 2020 का)

17 दिसंबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और इंद्रा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.438-अग्रिम जमानत-अग्रिम जमानत रद्द करना-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 498 - ए, 304-बी, 323,506 और 313-दहेज निषेध अधिनियम, 1961-एस. 3 और 4-अपीलार्थी की बेटी की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी-के अनुसार प्रतिवादी-अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली-हालाँकि,

अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई एफ. आई. आर. में यह आरोप लगाया गया था कि उसकी मृत बेटी पर पैसे लाने का दबाव डाला गया था और अपीलार्थी ने कई मौकों पर ससुराल वालों को चेक द्वारा पैसे दिए थे।

(प्रतिवादी-मृतक का अभियुक्त)-सत्र न्यायाधीश ने कहा कि एक घटना 01.10.2017 पर हुई थी जब मृतक था

उसकी सास, बहनोई और साली द्वारा कथित रूप से हमला किया गया जिसके कारण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई-एफ़. आई. आर. आगे दर्ज करती है कि मृतक के ससुर ने टेलीफ़ोन पर अपीलार्थी को धमकी दी थी 03.08.2020 और पैसे की माँग की थी-उसी दिन अपीलार्थी की बेटी ने अपीलार्थी को सूचित किया था कि उसकी जान को खतरा है-हालाँकि, इससे पहले कि अपीलार्थी उसे देखने के लिए अपनी बेटी के वैवाहिक घर पहुँचता, उसे सूचित किया गया कि वह अस्पताल में भर्ती है-अस्पताल में कुछ दिनों के बाद, उसकी मृत्यु हो गई-अग्रिम जमानत के लिए आवेदन यू / s.438 Cr.P.C. माता-पिता, बहनोई और बहनोई द्वारा दायर किया गया था।

मृतक-मृतक का पति हिरासत में था-उक्त आवेदनों को सत्र न्यायाधीश द्वारा धन के लेन-देन का उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदकों को अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि (ए) प्रथम दृष्टया प्राथमिकी आवेदकों को फंसाने के लिए बनाई गई प्रतीत होती है; (बी) प्राथमिकी में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है; (सी) आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है-अपील पर कहा गयाः एफ़. आई. आर. में शामिल है

अभियुक्त की भूमिका से संबंधित आरोपों का पुनर्कथन

294 डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और

ओआरएस। ईटीसी।

दहेज की मांग, हमले की पूर्व घटनाओं और मृतक के ससुराल वालों को चेक द्वारा धन का भुगतान-प्राथमिकी में मृतक के ससुर से प्राप्त टेलीफोन कॉल का भी उल्लेख किया गया है-प्राथमिकी में इस तरह के विशिष्ट आरोपों और धन लेनदेन के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा संदर्भ के सामने, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि प्राथमिकी प्रथम दृष्टया 'आरोपी को फंसाने के लिए तैयार की गई है' उचित स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है-ऐसा ही मामला इस निष्कर्ष के साथ है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है '-प्राथमिकी को पढ़ने से पता चलेगा कि एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि आरोपी को एक विशिष्ट भूमिका सौंपे बिना आरोप सामान्य हैं' इसके विपरीत है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-आगे का हस्तांतरण

सी. बी. आई. को जाँच-दंड संहिता, 1860 - s.364-बी-दहेज मृत्यु-अपीलार्थी की बेटी की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी-प्रतिवादी-अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार, उसने आत्महत्या कर ली थी-प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी की बेटी-मृतक पर दबाव डाला गया था

धन लाना-अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थी की बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ हमले के पूर्व आरोप थे-अपीलार्थी की बेटी के ससुराल वालों द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-हालाँकि, आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी-इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, राज्य ने पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से जवाबी-हलफनामा दायर किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने

वर्ष 2017 में मृतक द्वारा लगाए गए हमले/चोटों के पूर्व आरोपों को ध्यान में नहीं रखा है-यह आगे था बयान में कहा गया है कि चिकित्सा रिपोर्टों और तथ्यों से पता चला है कि मृतक की हत्या कर दी गई थी-राज्य ने अग्रिम जमानत देने के आदेश की शुद्धता का दावा करने में अपीलार्थी का समर्थन किया-राज्य के अनुसार हत्या के आरोप पर कोई जांच नहीं की गई थी-आयोजितः घटना स्थल पर पहुंचने के चरण से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक जांच अधिकारियों का आचरण विश्वास को प्रेरित नहीं करता है डिप्टी द्वारा लिया गया रुख

काउंटर में पुलिस अधीक्षक-[2020] 14 एस. सी. आर. के कुछ दिनों बाद दायर किया गया हलफनामा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप-पत्र को आगे बढ़ाते हुए, आरोप-पत्र में दर्ज जांच के दायरे से परे जाते हुए-मृतक, उसके पिता और आरोपी के बीच पैसे के लेन-देन के महत्वपूर्ण तथ्य; और मृतक, मृतक के पिता और मृतक के ससुर के कॉल हिस्ट्री का पता नहीं लगाया गया-हत्या के आरोप पर कोई जांच नहीं की गई-की गई जांच में स्पष्ट खामियां थीं-आरोपी की संपत्ति और प्रभाव वाले धनी व्यक्तियों के रूप में स्थिति और आरोपी का आचरण।

जाँच अब तक उन्हीं अधिकारियों द्वारा आगे की जाँच का निर्देश देने में न्यायालय के विश्वास को कम करती है-इसलिए, संविधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले की आगे की जाँच सी. बी. आई. को सौंपना आवश्यक है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं है कि (ए) "प्रथम दृष्टया प्राथमिकी आवेदकों को फंसाने के लिए बनाई गई प्रतीत होती है"; (बी) "प्राथमिकी में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है"; और (सी) आरोप "सामान्य प्रकृति के हैं" जिसमें आरोपी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। सूचना देने वाला

अपनी शिकायत दर्ज करने के निकट एक अप्राकृतिक मृत्यु के कारण अपनी ही बेटी को खो दिया था। एफ. आई. आर. में अक्टूबर 2017 की पिछली घटना का संदर्भ है, दहेज की मांग, सूचना देने वाले द्वारा दूल्हे के परिवार को चेक में पैसे का भुगतान और दूल्हे द्वारा प्राप्त टेलीफोन कॉल

मृतक के ससुर से और बाद में घटना के निकट मृतक से उसी दिन सूचना देने वाला, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। एफ. आई. आर. में उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं -

अभियुक्त, अक्टूबर 2017 की घटना से शुरू हुआ। क्या ऐसी कोई घटना, जैसा कि मृतक ने 1 अक्टूबर 2017 को पुलिस को बताया था, हुई थी, जिससे उसे चोटें आईं।

जिनका सरकारी अस्पताल में परीक्षण किया गया था, यह जांच का विषय है। एकल न्यायाधीश कैसे निष्कर्ष निकाल सकता था-एफ. आई. आर. में विशिष्ट आरोपों और सत्र न्यायाधीश द्वारा धन लेनदेन के संदर्भ में-कि एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया "अभियुक्त को फंसाने के लिए बनाई गई है" उचित स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम के निष्कर्ष के साथ भी ऐसा ही है।

एसएमटी। अनीता अग्रवाल और

ओआरएस। ईटीसी।

" एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। एफ. आई. आर. को पढ़ने से पता चलता है कि एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि आरोप "अभियुक्त को एक विशिष्ट भूमिका सौंपे बिना सामान्य हैं" रिकॉर्ड के विपरीत है। एकल न्यायाधीश ने अभियुक्तों के आयकर विवरणी से कहा कि "यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पर्याप्त साधन नहीं हैं"। एकल न्यायाधीश ने राज्य की जांच शाखा द्वारा पूर्ण जांच के बिना यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है। प्रतिवादी-अभियुक्त ने दो अस्पताल प्रतिष्ठानों द्वारा मृतक को धन के भुगतान, संपत्तियों की खरीद के लिए धन के हस्तांतरण और संयुक्त रूप से धन के हस्तांतरण पर भरोसा करने की मांग की।

संपत्तियों का स्वामित्व। कथित रूप से धन का निशान

मृतक द्वारा उसके पेशेवर काम के लिए प्राप्त किया जाना जांच का विषय है। इसी तरह, मृतक द्वारा अपने ससुर को धन हस्तांतरित करना और अपने माता-पिता से प्राप्त धन के साथ, यदि कोई संबंध है, तो यह गंभीर मामला है।

उच्च न्यायालय का यह मत कि अभियुक्त को एफ. आई. आर. में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, एफ. आई. आर. के गलत अध्ययन पर आधारित है। द. उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। [पैरा 14] [313-बी-एच; 314-ए]

2. स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया गया, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय

इलाहाबाद अस्थिर है। एफ़. आई. आर. में एक पाठ शामिल है

दहेज मांगने में अभियुक्त की भूमिका, हमले की पूर्व घटनाओं और मृतक के ससुराल वालों को चेक द्वारा धन का भुगतान करने के आरोप। एफ. आई. आर. में उन टेलीफोन कॉल का उल्लेख किया गया है जो मृतक के ससुर से 3 अगस्त 2020 की सुबह और मृतक से एक ही दिन में दो मौकों पर प्राप्त हुए थे-कुछ घंटे [2020] 14 एस. सी. आर.

इससे पहले कि उसका शव मिल जाए। ऐसे गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत की मंजूरी जांच में बाधा डालने के लिए काम करेगी।

3. अभिलेख पर सामने आई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें निर्णय के पूर्व भाग में स्वीकार किया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की आगे की जांच सी. बी. आई. को सौंपना आवश्यक है। घटना स्थल पर पहुंचने के चरण से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक जांच अधिकारियों का आचरण प्रक्रिया की मजबूती में विश्वास पैदा नहीं करता है। आरोप-पत्र का अवलोकन तथ्यों और आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अनुमान के एक खाली संदर्भ द्वारा जांच अधिकारियों के कर्तव्य का एक निष्पक्ष प्रतिपादन दर्शाता है जब - विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाती है। जवाबी हलफनामे में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा लिया गया रुख,

आरोप-पत्र को अग्रेषित करने के कुछ दिनों बाद दायर किया गया, सुसाइड नोट की सत्यता, चोटों की चिकित्सा जांच और मृतक के पिछले गर्भपात के संबंध में आरोप-पत्र में दर्ज जांच के दायरे से परे जाता है। आलोचनात्मक

मृतक, उसके पिता (मुखबिर) और आरोपी के बीच पैसे के लेन-देन के तथ्य और ए 2, मुखबिर और मृतक के कॉल इतिहास का पता नहीं चला है। कोई प्रयास नहीं 9 सितंबर 2020 को गैर-जमानती वारंट जारी करने और 22 सितंबर 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बीच आवेदकों से हिरासत में पूछताछ की गई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुनवाई के दौरान पूछताछ करने पर, राज्य के वकील ने जवाब दिया कि हत्या के आरोप पर कोई जांच नहीं की गई थी। यह वास्तव में एक उपहास होगा यदि यह न्यायालय अब तक की गई जांच में स्पष्ट कमियों को नजरअंदाज करता है, चाहे इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का चरण या प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो। अभियुक्त की संपत्ति और धनी व्यक्तियों के रूप में स्थिति

आगरा में प्रभाव और अब तक की जांच का संचालन डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम।

एसएमटी। अनीता अग्रवाल

ओआरएस। ईटीसी।

यह आगे की जांच का निर्देश देने में इस न्यायालय के विश्वास को कम करता है

उन्हीं अधिकारियों द्वारा। न्याय का कारण यह नहीं होगा कि न्यायालय अपनी जांच के दायरे को अग्रिम जमानत देने के विवेक तक ही सीमित रखे और इस संभावना को नजरअंदाज करे कि मुकदमा कम जांच या सबसे खराब पक्षपाती जांच के आधार पर समाप्त किया जा रहा है। [पैरा 23] [325-डी-एच; 326-ए-बी]

सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694: [2010] 15 एस. सी. आर. 201; जय प्रकाश

सिंह बनाम। बिहार राज्य (2012) 4 एससीसी 379: [2012] 5 एससीआर 1; सुशीला अग्रवाल बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2020) 5 एस. सी. सी.

1 : [2020] 2 एससीआर 1; कंवर सिंह मीणा बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2012) 12 एससीसी 180: [2012] 10 एससीआर 847; मायकला धर्मराजम बनाम। तेलंगाना राज्य

(2020) 2 एस. सी. सी. 743; पोकर राम बनाम राज्य

राजस्थान, (1985) 2 एससीसी 597: [1985] 3 एससीआर 780;

अर्नब गोस्वामी बनाम। 2020 का भारत संघ डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) 130,

19 मई 2020 को निर्णय लिया गया; विनय त्यागी बनाम। इरशाद (2013)

5 एससीसी 762: [2012] 13 एससीआर 1005; पूजा पाल बनाम। संघ भारत (2016) 3 एस. सी. सी. 135: [2016] 11 एससीआर 560;

धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य (2016) 4 एससीसी

160 : [2016] 1 एस. सी. आर. 194-पर निर्भर।

पूरन वी. रामविलास (2001) 6 एससीसी 338; [2001] 3 एससीआर

432 ; यू. पी. राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एससीसी

21 : [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 454; जयप्रकाश सिंह बनाम।

बिहार राज्य (2012) 4 एससीसी 379: [2012] 5 एससीआर 1; नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 15 एस. सी. सी. 422: [2015]

10 एस. सी. आर. 802; राज्य बनाम. अनिल शर्मा (1997) 7 एससीसी 187 : [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 737; आद्री नारायण दास बनाम।

पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एससीसी 303: [2005]

2 एस. सी. आर. 188-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2005] 3 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2012] 5 एससीआर 1

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[2015] 10 एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2020] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

[1997] 3 पूरक। एससीआर 737

संदर्भित किया गया है

पार.

[2005] 2 एससीआर 188

पार.

संदर्भित किया गया है

[2010] 15 एससीआर 201

उस पर भरोसा करें

पार.

[2012] 5 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पार.

[2012] 10 एससीआर 847

उस पर भरोसा करें

पार.

(2020) 2 एस. सी. सी. 743

उस पर भरोसा करें

पार.

[1985] 3 एससीआर 780

उस पर भरोसा करें

पार.

[2012] 13 एससीआर 1005

उस पर भरोसा करें

पार.

[2016] 11 एससीआर 560

उस पर भरोसा करें

पार.

[2016] 1 एससीआर 194

उस पर भरोसा करें

पार.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः अपराधी।

नं. 872-73 2020 का

एच के 29.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 2020 की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 5457 और आपराधिक विविध। अग्रिम जमानत आवेदन

5460 2020 से।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., शेखर नाफडे, सिद्धार्थ लूथरा, आर

विमलेश कुमार शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय खार्डे, सुश्री एस. लाकस सत्यजीत खार्डे, सुश्री प्रशी त्यागी, सुनील कुमार वर्मा, अरविन शर्मा, अतुल शर्मा, नीतेश जैन, अभिषेक अग्रवाल, विष्णु जैन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

ए. पृष्ठभूमि

B. वकील की प्रस्तुतियाँ

ग. अग्रिम जमानत रद्द करना

घ. आगे की जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना।

ई. सारांश डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और

ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1. छुट्टी दे दी गई।

ए. पृष्ठभूमि 2.
संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन

498 भारतीय दंड संहिता ("आई. पी. सी".) की धारा ए, 304-बी, 323,506 और 313 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4। के पति मृतक 'हिरासत में है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदक मृतक के सास-ससुर 2, बहनोई 3 और साली हैं। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी

आवेदन किया और उन्हें अग्रिम जमानत दी। मृतक के पिता अपील में हैं। 3. मृतक (दीप्ति) और सुमित अग्रवाल के बीच शादी 3 नवंबर 2014 को हुई थी। 7 अगस्त 2020 को, अपीलार्थी ने एक शिकायत दर्ज की जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया था

(" एफ. आई. आर. ") सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत। एफ. आई. आर., अन्य बातों के साथ-साथ, दर्ज करती है कि दीप्ति एक डॉक्टर थी और अपीलार्थी ने रुपये से अधिक की राशि खर्च की। शादी के संचालन के लिए 1.5 करोड़। आरोप है कि इसके बाद भी सुमित, उसके माता-पिता, बहनोई और साली ने दहेज के कारण मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया। मृतक के बारे में कहा जा रहा है कि

पैसे लाने के लिए दबाव डाला। एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने कई मौकों पर मृतक के ससुराल वालों को चेक के माध्यम से पैसे दिए थे। दहेज की मांग के कारण, यह आरोप लगाया गया था कि 2017 में उसके साथ गंभीर हमला किया गया था और अस्पताल में चोटों की चिकित्सकीय जांच की गई थी। वृंदावन में सरकारी अस्पताल। इस बीच, दीप्ति को दो मौकों पर गर्भपात का सामना करना पड़ा और अंततः उसने एक बेटी को गोद लिया। जहां तक उस घटना का संबंध है जो अंततः दीप्ति की कथित आत्महत्या से अप्राकृतिक मौत का कारण बनी, प्राथमिकी दर्ज करती है किः

" लगभग 1 दिन पहले, उसके ससुराल वालों के सभी उपर्युक्त परिवार के सदस्यों ने दहेज के कारण दीप्ति को बुरी तरह पीटा और उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने माता-पिता के परिवार को सूचित किया, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। 03.08.2020 को सुबह डॉ. एस. सी. अग्रवाल ने आवेदक को टेलीफोन पर धमकी दी और

पैसे की मांग की, और यह भी धमकी दी कि या तो मुझे मांग पूरी करनी चाहिए, अन्यथा, जो कुछ भी होगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा

1 1 ए-1

2 ए-2 और ए-3

3 ए-4

भविष्य में होता है। उसी दिन दोपहर 3 बजेः 09 पीएम और उसके बाद 5 बजेः 31 शाम को प्रधानमंत्री, दीप्ति ने आवेदक से कहा और

उसे मारने का इरादा। दीप्ति की जान बचाने के लिए, आवेदक उसे इलाज के लिए फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल ले गया, जल्द से जल्द, सुबह ही, जहाँ दीप्ति की कल इलाज के दौरान 06.08.2020 पर मृत्यु हो गई। इन लोगों ने भी लिया है पूरे पैसे का कब्जा जो दीप्ति ने कमाया था। सुमित, एस. सी. अग्रवाल, श्रीमती अनीता, अमित और तुलिका ने क्रूर व्यवहार के साथ दहेज के लिए दीप्ति की हत्या कर दी है। हम अंतिम संस्कार करते थे

कोशी में दीप्ति। चूंकि हम दीप्ति के इलाज और अंतिम संस्कार में व्यस्त थे, इसलिए आवेदक रिपोर्ट दाखिल करने आया है।

4. मृतक का जीवनसाथी-जो डॉक्टर भी है

पेशे को 7 अगस्त 2020 को हिरासत में लिया गया था। 10 अगस्त 2020 को, चार उत्तरदाताओं (ए-2 से ए-5) ने सत्र न्यायालय, आगरा के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग की। 21 अगस्त 2020 के एक आदेश द्वारा, सत्र न्यायाधीश, आगरा ने अग्रिम जमानत को अस्वीकार कर दिया। अभियुक्त के इस कथन को स्वीकार करने के बाद कि मृतक द्वारा कथित रूप से छोड़े गए एक सुसाइड नोट में दहेज के लिए उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है और मृतक अपने ससुर द्वारा स्थापित आगरा मेडिकल और कार्डियक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भागीदार और निवेशक थी, सत्र न्यायाधीश ने कहाः

" दूसरी ओर, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि पैसे को अलग-अलग लेनदेन में स्थानांतरित किया गया था। मृतक द्वारा जमा किए गए आवेदन की फोटोकॉपी दिनांक 01.10.2017 एस. एच. ओ., कोसिकालन, जिला मथुरा को भी दायर किया गया है, जिसमें डॉ. अमित अग्रवाल द्वारा मृतक की पिटाई का उल्लेख किया गया है।

5 अग्रिम जमानत आवेदन सं।

241/242 2020 का डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तुलिका अग्रवाल और अनीता अग्रवाल ने उसे मारने के इरादे से सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, और यह उल्लेख किया गया है कि उसे इसमें काफी चोटें आईं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह सब उसके ससुर एस. सी. अग्रवाल के कहने पर हुआ है, जिन्होंने उसे घर से Rs.20 लाख लाने के लिए कहा है।

उसके माता-पिता का परिवार। इसके अलावा, अतिरिक्त जिला जोड़ की मृतक की चोट रिपोर्ट की फोटोकॉपी दिनांक 02.10.2017 अस्पताल, वृंदावन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

5. सत्र न्यायाधीश ने कहा कि विशेष रूप से आरोपी का नाम लेने के अलावा, मृतक को प्रताड़ित करने और दहेज की मांग करने की प्राथमिकी में चार प्रतिवादियों के खिलाफ भी आरोप थे। 9 सितंबर 2020 को चारों अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। उनकी ओर से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किए गए थे। 22 सितंबर 2020 को, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को 28 सितंबर 2020 को "आगे की सुनवाई" के लिए पोस्ट किया और आरोपी को अंतरिम में गिरफ्तारी से बचाया। 28 सितंबर 2020 को, उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष आवेदन सूचीबद्ध किया गया था, ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 22 सितंबर 2020 के पहले के आदेश में आवेदन को "आगे की सुनवाई" के लिए पोस्ट किया गया था और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया था कि वे आवेदनों की सूची को संसाधित करें। तदनुसार कार्यवाही। आखिरकार, उच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है। जिन कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय अग्रिम मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ा

जमानत उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 20 में निहित है जो नीचे दिया गया हैः

" 20. आवेदकों के लिए विद्वान सलाहकार को सुनने के बाद, ए. जी. ए. और सूचना देने वाले के लिए विद्वान सलाहकार और

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिलेख से जो निर्विवाद स्थिति सामने आई है, मामले का तथ्य यह है कि आवेदक मृतक के ससुर, सास, जेठ और जेठानी हैं। दूसरा, मृतक का पति पहले से ही जेल में है। तीसरा, एफ. आई. आर. को अभियोजन मामले के विश्वकोश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मूल अभियोजन मामले को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब उपरोक्त के आलोक में निर्णय लिया जाता है, तो प्रथम दृष्टया एफ. आई. आर. आवेदकों को फंसाने के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है। F.I.R.The में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

6 2020 का आपराधिक विविध पूर्वानुमेय जमानत आवेदन Nos.5457/5460 [2020] 14 एस. सी. आर.

प्रकृति में और किसी को भी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है दहेज की कथित माँग के संबंध में उपरोक्त नामित आवेदक।

अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से, विशेष रूप से आयकर विवरणी से यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक पर्याप्त नहीं हैं

मतलब। शरीर पर किसी भी बाहरी चोट की अनुपस्थिति मृतक, स्पष्ट रूप से आवेदकों के प्रामाणिक (एसआईसी) को दर्शाता है।

6. 27 अक्टूबर को विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया था आदेश के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवेश किया है

अरंस का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ श्री विमलेश कुमार शुक्ला कर रहे हैं।

सेल और श्री विष्णु शंकर जैन वकील के रूप में। उत्तरदाता

एड का प्रतिनिधित्व श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री आर बसंत, सीनियर द्वारा किया जाता है।

स्वयं। जवाबी हलफनामे और लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गई हैं।

B. वकील की प्रस्तुतियाँ 7. अग्रिम जमानत देने का आरोप लगाते हुए, श्री शेखर नाफडे,

या अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया किः

यद्यपि एफ. आई. आर. में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।

((i)

पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है कि क्या मृत्यु हुई थी हत्या और उसकी हत्या कर दी गई;

((ख)

सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि

मृतक द्वारा अपने ससुर के खाते में धन के हस्तांतरण का एक विशिष्ट संदर्भ। वास्तव में, 19 नवंबर 2015 और 15 दिसंबर 2018 के बीच, रु। 50.53 लाख मृतक के माता-पिता द्वारा हस्तांतरित किए गए थे (जिसमें से Rs.15 लाख की राशि का भुगतान एक पारिवारिक मित्र द्वारा सीधे मृतक के ससुर को किया गया है), शेष राशि उसके खाते में स्थानांतरित की जा रही है। 15 लाख रुपये की राशि सूचना देने वाले द्वारा 17 दिसंबर 2019 को उस व्यक्ति को चुकाई गई थी जिसने पैसे उधार दिए थे।

4 दिसंबर 2015 और 1 मार्च 2017 के बीच, मृतक ने बैंक हस्तांतरण द्वारा Rs.24 लाख की राशि हस्तांतरित की।
उसके ससुर के खाते में उसका खाता। इन भुगतानों का विवरण इस प्रकार हैः

नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निवेश के लिए आर-5 में परिवर्तित राशि

जी. के., एसएलपी]

तिथि

पृष्ठ

राशि

उद्देश्य

संगतता

A2 में एक ही प्रविष्टि

(काउंटर)

तुलनपत्र @

पी. जी.

(काउंटर)

04.12.2015 2,00,000

इमारतें

274

180

निर्माण कार्य

निवेश

02.06.2016 2,00,000

इमारतें

275

183 (अगला

प्राप्त किया गया

निर्माण कार्य

दिन अर्थात

03.06.2016)

निवेश

30.06.2016 5,00,000

275

इमारतें

184

निर्माण कार्य

निवेश

277

इमारतें

01.03.2017 15,00,000

187

निर्माण कार्य

निवेश

ताल

24,00,000

(iii)

मृतक एक एनेस्थेटिस्ट था और काम कर रहा था परिवार प्रतिवादी-अभियुक्त का नर्सिंग होम चलाता है। वह।

शादी के 5 साल और 8 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ एक घटना की एफ़. आई. आर. में विशिष्ट आरोप हैं जो

1 अक्टूबर 2017 को जब मृतक पर हमला किया गया था

उसकी सास और उसके बड़े भाई द्वारा पति (मृतक का देवर) और उसका

पति/पत्नी (मृतक की साली);

उसके ससुर, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई

एस. एच. ओ., पुलिस थाना कोशी कलां, जिला मथुरा 1

अक्टूबर 2017। परीक्षण की चिकित्सा रिपोर्ट मृतक पाँच चोटों की उपस्थिति दिखाता है जो

एक कठोर और कुंद वस्तु के कारण होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है;

विवाह को बचाने के लिए शिकायत का पालन नहीं किया गया था

मृत;

((iv)

फांसी की घटना की सूचना पुलिस को दी गई पीड़ित 3 अगस्त 2020 को 1930 बजे। जांच में

हालांकि टीम 4 अगस्त 2020 को ही स्थल पर पहुंची।

1130 और 1330 बजे लेखों की एक सूची तैयार की

घटनास्थल से बरामद। माना जा रहा है कि सुसाइड नोट

सूची से गायब है और केवल एक सामान्य में उल्लेख मिलता है

2356 बजे डायरी प्रविष्टि। आरोप-पत्र में जो

अंततः 5 नवंबर 2020 को दाखिल किया गया, वसूली

सुसाइड नोट के पंचनामे का उल्लेख नहीं मिलता है। द.

सुसाइड नोट मृतक की लिखावट में नहीं है; [2020] 14 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एफ. आई. आर. में एक विशिष्ट आरोप है कि 3 अगस्त को

2020 मुखबिर को मृतक के ससुर से पैसे की मांग करते हुए एक टेलीफोन कॉल आया था और वह

उसी दिन दोपहर 3 बजेः 09 अपराह्न और 5: 31 अपराह्न मृतक ने मुखबिर और उसकी पत्नी से बात की और

उन्हें बताया गया कि लगभग 18 या 19 दिन पहले उन पर हमला किया गया था और उनकी जान को खतरा था। अपीलार्थी ने अपनी बेटी से कहा कि वह फरीदाबाद में है और उसी रात आगरा पहुंच जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, कथित तौर पर मृतक की हत्या कर दी गई थी। एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि मृतक के ससुराल वालों ने पूरा पैसा ले लिया था।

एक डॉक्टर के रूप में उसके द्वारा अर्जित किया गया था; प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदनों को सत्र न्यायाधीश ने 21 को खारिज कर दिया था।

अगस्त 2020। 9 सितंबर 2020 को एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को खारिज करने और दीप्ति की हत्या के विशिष्ट आरोप के बावजूद, केवल उसकी पत्नी को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था और कथित हत्या को हिरासत में नहीं लिया गया है।

जांच की गई। हालाँकि 22 सितंबर 2020 तक अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी से सुरक्षित नहीं रखा गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अंतरिम रूप से उनका पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

24 अक्टूबर 2020 को एक आरोप पत्र 5 नवंबर 2020 को जल्दबाजी में सक्षम अदालत को अपराध की उचित जांच के बिना प्रस्तुत किया गया था।

उच्च न्यायालय का आदेश इस पर मस्टर पारित नहीं कर सकता है

कानून का आधार जो इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में निर्धारित किया गया हैः (i) (2001) 6 एस. सी. सी. 338; पूरन बनाम रामविलास

(2005) 8 एससीसी 21; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि

((ख)

त्रिपाठी

(iii) (2012) 4 एस. सी. सी. 379; जयप्रकाश सिंह बनाम राज्य

बिहार

(iv) (2016) 15 एस. सी. सी. 422; नीरू यादव बनाम राज्य

यू. पी

एसएच कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(v) (2020) 5 एससीसी 1; सुशीला अग्रवाल बनाम एन. सी. टी.

दिल्ली

(vi) (1997) 7 एस. सी. सी. 187; राज्य बनाम अनिल शर्मा और

((2005) 4 एस. सी. सी. 303; आद्री नारायण दास बनाम राज्य

पश्चिम बंगाल का

उपरोक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए, श्री सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर ने कहा किः

मृतक और उसका पति अलग रहने लगे।

12 अक्टूबर 2018 से;

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने के कारण हुई है। शारीरिक चोटों की अनुपस्थिति इस आरोप को हटा देगी कि मृतक की हत्या में ससुराल वाले शामिल हैं।

रु. की राशि। मृतक द्वारा 4 दिसंबर 2015 और 25 मार्च 2017 के बीच सूचना देने वाले के परिवार से उसके बैंक खाते में प्राप्त 1 लाख रुपये को भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा प्राप्तियों में परिवर्तित कर दिया गया है। जबकि मृतक ने 4 दिसंबर 2015 और 1 मार्च 2017 के बीच अपने खाते से अपने ससुर को 1 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है, यह एक अस्पताल के निर्माण की दिशा में निवेश के एक हिस्से के रूप में था। पारिवारिक समझ के एक हिस्से के रूप में, ससुर का इरादा मृतक और उसके पति के लिए अलग अस्पताल स्थापित करने का था और पहले के अस्पताल का प्रबंधन उन दोनों को देना। इसलिए, सफायर अस्पताल की स्थापना के लिए मैसर्स आगरा मेडिकल के नाम से एक सीमित देयता साझेदारी और

कार्डियक सुपर स्पेशियलिटी, एलएलपी का गठन 28 दिसंबर 2016 को पांच भागीदारों के साथ किया गया था, जिसमें मृतक और उसके पति/पत्नी शामिल थे, जिनकी हिस्सेदारी 35 प्रतिशत थी। सैफायर अस्पताल की स्थापना के लिए सभी भागीदारों द्वारा निवेश किया जा रहा था।

और ससुर द्वारा कुल निवेश में था

रुपये की राशि। 1. 12 करोड़; और

दोनों अस्पतालों से मृतक को कई धन हस्तांतरित किए गए हैं, इसके अलावा ससुर द्वारा मृतक और उसके जीवनसाथी को राशि का भुगतान किया गया है। उनके संयुक्त नामों पर संपत्ति की खरीद के लिए। इन लेन-देनों का विवरण निम्नलिखित शर्तों में प्रस्तुत किया गया हैः

रु. मेसर्स आगरा द्वारा मृतक को 27.25 लाख का भुगतान किया गया

(अ)

2015 के बीच चिकित्सा और हृदय अनुसंधान केंद्र

16 और 2017-18;

(ख)

रु. मृतक को 61.79 लाख का भुगतान किया गया नीलमणि अस्पताल (मेसर्स आगरा मेडिकल एंड कार्डियाक सुपर स्पेशियलिटी एलएलपी) 2017-18 और 2019 के बीच

20 ;

रु. 66.73 ससुर द्वारा भुगतान किए गए लाख

((ग)

9 सितंबर 2019 और 21 सितंबर 2019 को संपत्ति की खरीद के लिए मृतक और उसके पति/पत्नी; और

((घ)

रु. 15 मृतक के खाते से लाखों का भुगतान किया गया

दो भूखंडों की खरीद के लिए एलएलपी।

(v)

रु. की राशि। 30.80 लाख के नाम पर निवेश किया जाता है

अन्य बातों के साथ-साथ एफ. डी. आर., बैंक शेष राशि, पी. पी. एफ. और आर. डी. खाते में।

(vi) तीन अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग रु। 1. 40 करोड़

मृतक और उसके पति/पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में हैं;

(vii) 1 अक्टूबर 2017 की कथित घटना तब से मनगढ़ंत है।

मृतक के जीजा और जीजा ने

उन दिनों मुंबई की यात्रा की;

(viii) सुसाइड नोट, जिसे फोरेंसिक को भेज दिया गया है।

विज्ञान प्रयोगशाला, इंगित करता है कि मृतक एक में था

उसके गर्भपात के कारण अवसादग्रस्त मानसिक स्थिति;

(ix) सुसाइड नोट की बरामदगी का सबूत है

पुलिस द्वारा तैयार किए गए वसूली ज्ञापन; और

(x)

आवेदकों ने इस दौरान सह-संचालन किया है

जाँच आ हुनक बयान पहिने दर्ज कयल गेल अछि।

आरोप पत्र 5 नवंबर 2020 को दाखिल किया गया था।

9. उपरोक्त दलीलों का समर्थन करते हुए, श्री आर बसंत, वरिष्ठ वकील

डॉ. एस. सी. अग्रवाल (ए-2) एक वरिष्ठ चिकित्सा व्यवसायी हैं। उनके और उनके जीवनसाथी (ए-3) के दो बेटे हैं जो एस. एस. आई. एन. द्वारा डॉक्टर हैं, अर्थात् ए-1 और ए-4। ए-1 मृतक ए-4 का पति/पत्नी था और ए-5 पति/पत्नी हैं। ए-2 द्वारा उनके बेटों, ए-1 और नरेश कुमार मंगला बनाम के लिए अलग-अलग प्रतिष्ठान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो अस्पतालों की स्थापना की गई थी।

एसएमटी। अनीता अग्रवाल और आर. एस. ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए, श्री बसंत

उन्होंने कहा कि:

((i)

सुसाइड नोट की अवधि इंगित करती है कि मृतक मानसिक अवसाद से पीड़ित था जिसके परिणामस्वरूप

लगातार गर्भपात हुआ और उसने वास्तव में एक लड़की को गोद लिया था

जून 2018 में बच्चा;

12 अक्टूबर 2018 को, मृतक और उसके पति ने एक

((ख)

अपने लिए अलग निवास;

(111) मृतक ने अपने ससुर द्वारा स्थापित दोनों अस्पतालों से वेतन लिया था। ए-2 ने ए-1 और मृतक को धन हस्तांतरित किया था ताकि वे अपने संयुक्त नामों पर अचल संपत्ति खरीद सकें; और

(iv) 3 अगस्त 2020 को मृतक द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास करने के बाद, उसे उसके ससुर द्वारा संचालित परिवार द्वारा संचालित नर्सिंग होम में ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस

3 अगस्त 2020 की शाम को हुई घटना, हालांकि 7 अगस्त 2020 तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। 3 और 4 अगस्त 2020 को लेख बरामद किए गए। सुसाइड नोट 3 अगस्त 2020 को बरामद किया गया था। इसे 4 अगस्त 2020 को मलखाने में जमा किया गया था, जैसा कि जनरल की प्रविष्टि 85 में दर्शाया गया है।

डायरी। मृतक को बाद में उसके पिता, अपीलार्थी द्वारा दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। 5 अगस्त 2020 को,

स्थानीय में बड़े पैमाने पर सुसाइड नोट प्रकाशित किया गया था

समाचार पत्र जिनके बावजूद शिकायत संकेत नहीं देती है

कि यह मनगढ़ंत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुसाइड नोट में दहेज के कारण उत्पीड़न का कोई संदर्भ नहीं है।

10. उत्तर प्रदेश राज्य ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है

वृत्त में काम कर रहे हरीश चंद्र टम्टा के माध्यम से कार्यवाही

ई (पुलिस उपाधीक्षक), जिला आगरा। काउंटर एविट में निम्नलिखित कथन शामिल हैं:

" 9. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया है

मृतक दीप्ति को लगी शारीरिक चोट पर विचार करें

वर्ष 2017 और उसके द्वारा पुलिस में दर्ज की गई प्राथमिकी की सामग्री

स्टेशन।

10. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2.8.2020 पर सुमित अग्रवाल

(मृतक के पति) और अनीता अग्रवाल (सास) [2020] 14 एस. सी. आर.

सुबह 9:30 बजे किए गए मोबाइल कॉल के माध्यम से दहेज की मांग की गई थी और कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भुगतान किया।

10. डॉ. दीप्ति को खराब इलाज के कारण दो बार गर्भपात कराना पड़ा।

उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दिया गया।

11. शरीर पर पाई गई चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है

मृतक।

12. मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों से पता चला कि मृतक

मारा गया है।

13. यह दहेज की लगातार मांग, मृतक को प्रताड़ित करने और पीड़ित करने का मामला है और मृतक ने स्वयं वर्ष 2017 में दर्ज प्राथमिकी में अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के बारे में बताया है। 14. यह भी स्पष्ट है कि हताश होकर आत्महत्या करने और मृतक द्वारा एक बच्चे को गोद लेने की कहानी काल्पनिक और आधारहीन है। द.

कथित सुसाइड नोट डॉ. दीप्ति की लिखावट में नहीं है। उक्त दस्तावेज़ झूठा, मनगढ़ंत है और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है और वे अपराध करने के दोषी हैं।

आई. पी. सी. की यू/एस 468 और 471। 15. वह प्रत्यर्थी-राज्य भी इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर निर्भर है। 2012 (8) में रिपोर्ट किए गए लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के मामले में एस. सी. सी. 730, विशेष रूप से पैराग्राफ 8,12 और

18 इस फैसले के बारे में "।

11. उपरोक्त कथनों के आधार पर, राज्य ने समर्थन किया है

अग्रिम जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का दावा करने में अपीलार्थी। विशेष रूप से, अदालत के विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या दीप्ति की हत्या के आरोप पर कोई जांच की गई है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विमलेश कुमार शुक्ला ने नकारात्मक उत्तर दिया है। कथित सुसाइड नोट पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इसे शुरू में एफएसएल द्वारा हाथ से लिखने की तुलना करने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव में वापस कर दिया गया था और अब इसे जांच अधिकारी द्वारा एफएसएल को आवश्यक सहायक सामग्री के साथ फिर से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

ग. अग्रिम जमानत रद्द करना

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा। अपीलार्थी, जो मृतक के पिता हैं, ने 7 अगस्त 2020 को एस. एच. कुमार मंगला बनाम पर शिकायत दर्ज कराई।

एसएमटी। अनीता अग्रवाल और टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]जिनमें से 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 0623 आगरा जिले के पुलिस गंज में दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. में निम्नलिखित शामिल हैं -

मृतक की शादी ए-2 के बेटे ए-1 से 3 नवंबर 2014 को हुई थी।

मृतक पेशे से एक योग्य चिकित्सक था।

रु. की राशि। उनकी शादी के मौके पर डेढ़ करोड़ खर्च किए गए थे। ए-1 से ए-5 तक दुल्हन द्वारा लाए गए धन से असंतुष्ट थे और उन पर रुपये की राशि लाने के लिए दबाव डाला गया था। 1 करोड़;

अपीलार्थी ने अपनी बेटी के घरेलू सुख के हित में दूल्हे के परिवार को चेक द्वारा धन का भुगतान किया;

2017 में एक घटना हुई थी जब मृतक पर उसके ससुराल वालों ने हमला किया था। वृंदावन के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच के दौरान पता चला कि उन्हें चोटें लगी थीं।

मृतक का दो बार गर्भपात हुआ था और उसने एक बच्ची को गोद लिया था। मृतक और जिस बच्चे को उसने गोद लिया था, उसका लगातार उत्पीड़न होता रहा।

3 अगस्त 2020 की घटना से लगभग 18 या 19 दिन पहले, मृतक पर दहेज के कारण आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और उसने अपने परिवार को सूचित करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

3 अगस्त 2020 को ए-2 द्वारा अपीलार्थी-शिकायतकर्ता को पैसे की मांग करने और उसे परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए एक टेलीफोन कॉल आया था।

मृतक ने 3 पर टेलीफोन कियाः 09 पीएम और 5 बजेः 31 प्रधानमंत्री ने 3 अगस्त 2020 को अपने माता-पिता से हाल ही में हुए हमले और अपने जीवन के लिए खतरे का खुलासा किया। जब तक अपीलार्थी फरीदाबाद से आगरा गया, तब तक उसने पाया कि उसकी बेटी की हत्या दहेज की मांग पूरी न करने के कारण की गई थी; [2020] 14 एस. सी. आर.

(xiii) अपीलार्थी मृतक को सर्वोदय अस्पताल ले गया।

फरीदाबाद में इलाज के लिए जहाँ 6 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई

2020 ;

(xiv) अंतिम संस्कार किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी;

(xv) अभियुक्त ने धन को अपने कब्जे में ले लिया था जो

मृतक द्वारा अर्जित किया गया था; और

(xvi) अपीलार्थी की बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था।

13. पुलिस को संज्ञेय आयोग के बारे में सूचित किया गया

मथुरा, विशेष रूप से शिकायत करती है कि उस पर ए-3, ए-4 और ए-5 द्वारा हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आई थीं। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि यह उसके ससुर ए-2 के कहने पर हुआ था। एफ. आई. आर. की सामग्री के अलावा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को इस तथ्य से विधिवत अवगत कराया गया था कि हालाँकि मृतक पर 2017 में हमला किया गया था, लेकिन सूचना देने वाले ने मृतक के जीवनसाथी और अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी

अपने परिवार से, बस शादी को बचाने के लिए। एकल न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि

जमानत के लिए आवेदक ससुर, सास हैं।

((i)

जीजा और जीजा;

मृतक का जीवनसाथी हिरासत में है; और

((ख)

एफ. आई. आर. को "एक विश्वकोश" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(iii)

अभियोजन पक्ष का मामला लेकिन मूल अभियोजन को प्रतिबिंबित करना चाहिए

मामला "।

उपरोक्त परिसर को दर्ज करने के बाद, एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि

(क) "प्रथम दृष्टया एफ़. आई. आर. को फंसाने के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है आवेदक "; (ख)" एफ. आई. आर. में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है "; और (ग) आरोप" सामान्य प्रकृति के हैं "जिसमें अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।

डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14. हमने एफ. आई. आर. के संदर्भ में इस विश्लेषण की शुरुआत की है। एकल न्यायाधीश के लिए तीन प्रथम दृष्टया निष्कर्षों में से किसी पर भी पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं है। सूचना देने वाले को अपनी शिकायत दर्ज कराने के करीब एक अप्राकृतिक मौत के कारण अपनी ही बेटी का नुकसान उठाना पड़ा था। एफ़. आई. आर. में अक्टूबर 2017 की पिछली घटना, दहेज की माँग, चेक में पैसे के भुगतान का संदर्भ है।

- यह कि प्रथम दृष्टया एफ़. आई. आर. को "अभियुक्त को फंसाने के लिए तैयार किया गया है" उचित स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। इसी तरह का मामला इस निष्कर्ष के साथ है कि "एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है"। एफ. आई. आर. को पढ़ने से पता चलता है कि एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि आरोप "एक विशिष्ट भूमिका निर्धारित किए बिना सामान्य हैं" अभियुक्त "अभिलेख के विपरीत है। एकल न्यायाधीश ने अभियुक्तों के आयकर विवरणी से कहा कि "यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पर्याप्त साधन नहीं हैं"। एकल न्यायाधीश ने राज्य की जांच शाखा द्वारा पूर्ण जांच के बिना यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है।

श्री लूथरा ने दोनों अस्पताल प्रतिष्ठानों द्वारा मृतक को धन के भुगतान, संपत्तियों की खरीद के लिए धन के हस्तांतरण और संपत्तियों के संयुक्त स्वामित्व पर भरोसा करने की मांग की है। मृतक द्वारा अपने पेशेवर काम के लिए कथित रूप से प्राप्त किए गए धन की जांच की जानी चाहिए। इसी तरह, मृतक द्वारा अपने ससुर को धन हस्तांतरित करना और अपने माता-पिता से प्राप्त धन के साथ, यदि कोई संबंध है, तो वह गंभीर जांच का विषय है। मृत्यु अप्राकृतिक थी जो शादी के सात साल के भीतर हुई थी। सूचना देने वाले को कुछ अभियुक्तों और मृतक द्वारा जिस दिन उसे फांसी पर लटका हुआ पाया गया था, उस दिन प्राप्त कथित फोन कॉल ऐसे मामले हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। मृतक के शरीर पर बाहरी चोट की कथित अनुपस्थिति जांच का विषय है। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनौपचारिक है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों में निहित अनुमानों का सामग्री [2020] 14 एस. सी. आर. में कोई आधार नहीं है।

जिसका सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अभियुक्त को प्राथमिकी में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, प्राथमिकी के गलत अध्ययन पर आधारित है। उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। यह अभिलेख के विपरीत है और जैसा कि हम अब स्पष्ट करेंगे, एक गंभीर अपराध के कथित अपराध से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत देने पर विवेकाधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानून के तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत है।

15. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जमानत देने वाले "अन्यायपूर्ण, अवैध या विकृत आदेश" को अलग करना इससे अलग है -

अभियुक्त के पर्यवेक्षी कदाचार के आधार पर या क्योंकि कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें रद्द करने की आवश्यकता है, जमानत को रद्द करना। पूरन बनाम रामविलास में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां जमानत देने का आदेश अभिलेख पर सामग्री की उपेक्षा करता है या यदि जमानत देने का एक विकृत आदेश बिना कारण बताए एक जघन्य अपराध में पारित किया जाता है, तो न्याय के हितों के लिए आदेश को रद्द करने और जमानत को रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है। द.

बिना किसी कारण के दर्ज करना स्पेक्ट्रम का एक छोर है। अग्रिम जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप के लिए क्षेत्र का दूसरा छोर (में

जो वर्तमान मामला तय करता है) वह है जहां कारण रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत हैं और इसलिए विकृति से पीड़ित पाए जाते हैं। 16. अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय जिन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हें स्पष्ट किया गया है

सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और कई अन्य निर्णयों में इस न्यायालय का निर्णय। जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें शामिल हैं:

" 112. [.....]

((i)

आरोप की प्रकृति और गंभीरता और सटीक भूमिका

अभियुक्त का;

((ख)

आवेदक के पूर्ववृत्त सहित कि क्या

आरोपी पहले भी जेल जा चुका है

संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि;

आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(iii)

3

(( ) (iv) अभियुक्त के समान या अन्य दोहराने की संभावना।

अपराध;

(v) क्या आरोप केवल उन्हें गिरफ्तार करके आवेदक को घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं;

7 (2001) 6 एस. सी. सी. 338

8 (2011) 1 एस. सी. सी. 694 नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और आर. एस. ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((vi) विशेष रूप से अग्रिम जमानत के अनुदान का प्रभाव

बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले परिमाण के मामले;

(vii) अदालत को अभियुक्त के खिलाफ पूरी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। अदालत को यह भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि

मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की मदद से फंसाया गया है, अदालत को और भी अधिक सावधानी और सावधानी के साथ विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में अति-प्रभाव सामान्य ज्ञान का विषय है और

चिंता;

(viii) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाया जाना चाहिए।

जाँच होनी चाहिए और अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए।

(ix) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका

या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका; अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह

(x)

केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में और जमानत की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में विचार किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष, घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में, आरोपी है

जमानत के आदेश का हकदार।

113. गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और यह उन असाधारण मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहां उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य है। अदालत को पूरे उपलब्ध रिकॉर्ड और विशेष रूप से उन आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए जो सीधे तौर पर दर्ज किए गए हैं।

अभियुक्तों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये आरोप हैं अन्य सामग्री और परिस्थितियों द्वारा पुष्टि की गई

रिकॉर्ड करें "।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जय प्रकाश सिंह बनाम

बिहार के इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के मानदंडों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है और इस तरह की राहत देते समय आगे,

अदालत को कारणों को दर्ज करना चाहिए। अग्रिम जमानत दी जा सकती है

केवल असाधारण परिस्थितियों में जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया है

यह विचार कि आवेदक को गलत तरीके से अपराध में शामिल किया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। (डी. के. गणेश बाबू बनाम देखें। पी. टी. मनोकरन [(2007) 4 एस. सी. सी. 434: (2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम। मोहम्मद. साजिद हुसैन मोहम्मद। एस. हुसैन [(2008) 1 एस. सी. सी. 212: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 176] और भारत संघ बनाम। पदम नारायण अग्रवाल [(2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1]। ”

17. सुशीला की संविधान पीठ के हालिया फैसले में

रावल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), 1 ओ उन विचारों को दोहराया गया है जो संरक्षक जमानत के अनुदान के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने में न्यायालय के साथ होने चाहिए। न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष

उसे खाओः

" 92.1 ..... अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन में अपराध से संबंधित आवश्यक तथ्य होने चाहिए, और आवेदक क्यों गिरफ्तारी के साथ-साथ कहानी के उसके पक्ष को भी उचित रूप से गिरफ्तार किया जाता है। ये अदालत के लिए आवश्यक हैं जिन पर उसे विचार करना चाहिए।

आवेदन, खतरे या आशंका, इसकी गंभीरता या गंभीरता और किसी भी स्थिति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए

थोपना पड़ता है। 92.3 ..... आवेदन पर विचार करते समय (अग्रिम अनुदान के लिए)

जमानत) अदालत को अपराध की प्रकृति, भूमिका पर विचार करना होगा

व्यक्ति का, उसके पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना

जाँच, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ (गवाहों को डराने सहित), न्याय से भागने की संभावना (जैसे कि साक्ष्य को छोड़ना)

देश), आदि।

92.4 . न्यायालयों को आम तौर पर अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। अनुदान देना या न देना विवेकाधिकार का विषय है; समान रूप से क्या और यदि ऐसा है, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं) इस पर निर्भर हैं मामले के तथ्य, और अदालत के विवेकाधिकार के अधीन।

18. संविधान पीठ ने दोहराया है कि जमानत देने की शुद्धता अपीलीय या वरिष्ठ द्वारा मूल्यांकन के अधीन है और इसे इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है कि जमानत देने वाला न्यायालय

भौतिक तथ्यों या महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करें। दो न्यायाधीशइस न्यायालय के छ. कंवर सिंह मीणा बनाम राज्य 1 1 में कहा गया है किः

" 10. इस प्रकार, संहिता की धारा 439 बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है -

जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय। लेकिन, जमानत देते समय, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय अन्य न्यायालयों के समान विचारों द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थात्, अपराध की गंभीरता, साक्ष्य का स्वरूप, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और स्थिति, अभियुक्त के न्याय से भागने और दोहराने की संभावना। अपराध, गवाहों के साथ उसके छेड़छाड़ करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने की संभावना और ऐसे अन्य आधारों पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक आपराधिक मामला अपना विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और इसलिए,

किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट आधार हो सकते हैं अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाए। अदालत को केवल इस बारे में राय देनी है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। अदालत को सावधानी नहीं बरतनी चाहिए

पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की जांच और

उसी पर टिप्पणी करें। साक्ष्य के इस तरह के मूल्यांकन और समय से पहले की गई टिप्पणियों से आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होने की संभावना है। संहिता की धारा 439 (2) के तहत जमानत को रद्द करते समय, अदालत के साथ विचार करने वाले प्राथमिक विचार यह हैं कि क्या आरोपी के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या हस्तक्षेप करने या न्याय के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने या न्याय के उचित पाठ्यक्रम से बचने की संभावना है। लेकिन, यही सब कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उन मामलों में भी जमानत रद्द कर सकता है जहां जमानत देने का आदेश गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। यदि जमानत देने वाली अदालत प्रथम दृष्टया संकेत देने वाली प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करती है अभियुक्त की संलिप्तता या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जिसकी अभियुक्त को जमानत देने के प्रश्न से कोई प्रासंगिकता नहीं है, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत को रद्द करने में उचित होगा। इस तरह के आदेश जमानत देने की शक्ति के अंतर्निहित मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस तरह के आदेश कानूनी रूप से कमजोर और कमजोर होते हैं जिससे न्याय की विफलता होती है और पर्यवेक्षण परिस्थितियों का अभाव होता है जैसे कि

अभियुक्त की सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, भागने की प्रवृत्ति

न्याय से, आदि अदालत को रद्द करने से नहीं रोकेंगे

जमानत। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय रद्द करने के लिए बाध्य है

जघन्य अपराधों में शामिल आरोपी क्योंकि वे अंततः परिणाम देते हैं अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करने और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में

समाज को। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि इस न्यायालय की शक्तियाँ

बहुत व्यापक हैं, यह न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों द्वारा समान रूप से निर्देशित है

जमानत देने या रद्द करने के मामले में "।

(जोर दिया गया)

हाल ही में, इस न्यायालय ने मियाकला धर्मराजम बनाम। राज्य का

गण 1 2 ने उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया और कहाः

" 9. यह एक सामान्य कानून है कि मामलों में जमानत रद्द की जा सकती है। जहाँ जमानत देने का आदेश गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त है।

जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। अगर जमानत देने वाली अदालत नजरअंदाज करती है

अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत देने वाली प्रासंगिक सामग्री

या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है

अभियुक्त को जमानत देने के प्रश्न पर, उच्च न्यायालय या

सत्र न्यायालय जमानत रद्द करने में न्यायसंगत होगा।

19. यहाँ इन दोनों के बीच के अंतर का उल्लेख करना उचित है -

पोकर राम बनाम राजस्थान राज्य में अग्रिम जमानत और नियमित जमानत देने में मार्गदर्शन करने वाले उपहास

अग्रिम जमानत देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" 5. न्यायालय के निर्णय को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक विचार

धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देना भौतिक रूप से अलग है।

उन लोगों से जब किसी व्यक्ति द्वारा जमानत के लिए आवेदन किया जाता है जिसे गिरफ्तार किया जाता है जाँच के दौरान और एक व्यक्ति द्वारा भी जिसे दोषी ठहराया गया है

और उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और जमानत मांगी जाती है अपील के लंबित रहने के दौरान। तीन स्थितियों में

यह कहना आवश्यक है क्योंकि विद्वान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय दुर्भाग्य से सभी को मिलाने में एक त्रुटि में पड़ गया

0) 2 एस. सी. सी. 743

5) 2 एस. सी. सी. 597 नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विचार, मानो तीनों वर्तमान स्थिति में प्रासंगिक हो जाते हैं।

6. गुरबख्श सिंह मामले में संविधान पीठ का फैसला

गिरफ्तारी के बाद जमानत के आदेश के विपरीत, यह एक गिरफ्तारी से पहले की कानूनी प्रक्रिया है जो यह निर्देश देती है कि यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह जारी किया जाता है इसके बाद उस आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है जिसके संबंध में निर्देश जारी किया जाता है, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। धारा 438 के तहत एक निर्देश का उद्देश्य धारा 46 (1) या कारावास द्वारा परिकल्पित स्पर्श से सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करना है। पैरा 31 में चंद्रचूड़, सी. जे. ने स्पष्ट रूप से इन दोनों के बीच अंतर का सीमांकन किया है।

अग्रिम जमानत और जाँच के दौरान गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए आवेदन। विद्वान मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि अग्रिम जमानत के संबंध में, यदि प्रस्तावित आरोप न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी गुप्त उद्देश्य से प्रतीत होता है, तो उद्देश्य आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाना और अपमानित करना है, आम तौर पर गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर आवेदक को रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा। यह देखा गया कि "यह एक अक्षम्य नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रस्तावित आरोप दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत नहीं होता है; और, समान रूप से, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए यदि कोई डर नहीं है कि आवेदक ऐसा करेगा। फरार "। कुछ प्रासंगिक विचार जो विवेकाधिकार को नियंत्रित करते हैं, उनमें "प्रस्तावित आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपों को बनाने के लिए संभावित घटनाओं का संदर्भ, मुकदमे में आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने की उचित संभावना, एक उचित आशंका कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और जनता या राज्य के व्यापक हित", कुछ ऐसे विचार हैं जो -

अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत को ध्यान रखना होगा। एक चेतावनी दी गई थी कि "के मूल्यांकन में

यह विचार करते हुए कि क्या आवेदक के फरार होने की संभावना है, यह कोई अनुमान नहीं हो सकता है कि अमीर और शक्तिशाली [2020] 14 एस. सी. आर. प्रस्तुत करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं पर मुकदमा चलाने के लिए और कि विनम्र और गरीब भाग जाएँगे

न्याय के पाठ्यक्रम से, किसी भी अधिक एक हो सकता है यह धारणा कि पहले वाले के अपराध करने की संभावना नहीं है और बाद वाले के अपराध करने की संभावना अधिक है।

उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय अस्थिर है।

एफ़. आई. आर. में दहेज की माँग करने में अभियुक्त की भूमिका, हमले की पूर्व घटनाओं और मृतक के ससुराल वालों को चेक द्वारा धन का भुगतान करने के आरोपों का पाठ शामिल है। एफ. आई. आर. में उल्लेख किया गया है

3 अगस्त 2020 की सुबह मृतक के ससुर से और उसी दिन दो मौकों पर मृतक से प्राप्त टेलीफोन कॉल पर- उसका शव मिलने से कुछ घंटे पहले। ऐसे गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत की मंजूरी जांच में बाधा डालने के लिए काम करेगी। इन परिस्थितियों में अपनी बेटी की मौत झेलने वाले पिता की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।

मृतक के जीवनसाथी और उसके परिवार को गलत तरीके से फंसाने के लिए "इंजीनियर" माना जाता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि इस स्तर पर हमारी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं, और हमने जो कुछ भी कहा है, उसे मामले के गुण-दोष पर निर्धारण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जिस पर मुकदमे में निर्णय लिया जाएगा।

घ. आगे की जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना।

20. वर्तमान मामले में यूपी पुलिस द्वारा की गई जांच वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ती है। हम पहले ही इस फैसले के पहले भाग में, आगरा के पुलिस उपाधीक्षक की ओर से दायर किए गए जवाबी हलफनामे की सामग्री को निकाल चुके हैं। जवाबी हलफनामे की सामग्री 5 नवंबर 2020 को दायर आरोप-पत्र की सामग्री के साथ एक भौतिक विचलन पर है। सुनवाई के दौरान, इस अदालत को उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा विशेष रूप से सूचित किया गया है कि प्राथमिकी में आरोप की कोई जांच नहीं की गई थी कि मृतक की हत्या की गई थी। हालाँकि कथित सुसाइड नोट से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस स्तर पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी द्वारा इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर रूप से विवाद किया गया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने सुसाइड नोट की वास्तविकता का आकलन करने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव में मामले को वापस भेज दिया और फिर से प्रस्तुत करने पर, एक रिपोर्ट का इंतजार है।

डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दीप्ति की मृत्यु के कुछ दिनों के भीतर, कथित सुसाइड नोट आगरा के समाचार पत्रों में आ गया। वास्तव में यह एक

अभियुक्त के विद्वान वकील ने उस परिस्थिति पर भरोसा किया जब वे प्रस्तुत करते हैं कि सुसाइड नोट को दिए गए प्रचार के बावजूद, एफ़. आई. आर. इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करती है। इस मामले में अनुक्रम परिचित पैटर्न का पालन करता प्रतीत होता है। कथित सुसाइड नोट का तत्काल प्रचार किया गया। ये उदाहरण अब परिचित हो रहे हैं। मीडिया को चुनिंदा खुलासे कुछ मामलों में अभियुक्त के अधिकारों और अन्य मामलों में पीड़ितों के परिवारों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। निष्पक्ष रिपोर्टिंग में मीडिया की वैध हिस्सेदारी है। लेकिन इस मामले में जो हुआ है, उस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि कैसे आपराधिक न्याय के प्रशासन को पटरी से उतारने के लिए सामग्री के प्रकटीकरण सहित जानकारी के चुनिंदा प्रकटीकरण का उपयोग किया जा सकता है, जो अंततः आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। जाँच अधिकारी का कर्तव्य है कि जब किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी उनके ध्यान में लाई जाए तो वह जाँच करे। दुर्भाग्य से, इस भूमिका से उस तरीके से समझौता किया जा रहा है जिसमें चुनिंदा रिसाव होते हैं

सार्वजनिक क्षेत्र। यह अभियुक्त के लिए उचित नहीं है क्योंकि यह गलीचा खींचता है

निर्दोषता की धारणा के नीचे। यह अपराध के पीड़ितों के लिए उचित नहीं है, अगर वे अपराध से बच गए हैं, और जहां वे नहीं हैं, उनके परिवारों के लिए उचित नहीं है। न तो पीड़ितों और न ही उनके परिवारों के पास अपने जीवन और परिस्थितियों के बारे में अस्पष्ट विवरणों के प्रकाशन का जवाब देने के लिए कोई मंच है। यह कहने के बाद, हम प्रथम दृष्टया इस आक्षेप को खारिज करते हैं कि समाचारों में प्रकाशित होने के बावजूद, एफ. आई. आर. ने सुसाइड नोट पर संदेह या संदर्भ नहीं दिया था।

मीडिया। अपीलार्थी की बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। परिवार ने अंतिम संस्कार पूरा कर लिया था। यह उम्मीद करना कि उन्हें अपराध की रिपोर्ट करने से पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पृष्ठों को खंगालना चाहिए, मानवीय स्थिति का मजाक है। द. अपीलार्थी की इस आशंका को कि ए-2 और उसके परिवार का आगरा में एक प्रमुख सामाजिक दर्जा है और हो सकता है कि उन्होंने उचित जांच को विफल करने के लिए समाज में अपनी स्थिति का उपयोग किया हो, अनुचित नहीं माना जा सकता है।

21. ऊपर जो कहा गया है और जांच में गंभीर कमियों की पृष्ठभूमि में, हमने सुनवाई के दौरान, सभी किए हैं

वकील इस संभावना से अवगत है कि इस अदालत द्वारा मामले को आगे की जांच के लिए सी. बी. आई. को भेजा जा सकता है। न्यायालय को दो कारणों से सावधानीपूर्वक इस तरह की कार्रवाई की संभावना पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले, इस अदालत ने बार-बार कहा है कि जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने की शक्ति जो एक उच्च न्यायालय में निहित है, जैसे [2020] 14 एस. सी. आर.

बी. आई. का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। इस बारे में हाल ही में एक फैसले में

टी, अर्नब गोस्वामी बनाम भारत संघ 1 4, हम में से एक (डॉ. जस्टिस डी. वाई.

ड्राचूड़) ने तर्क की व्याख्या की थी

निम्नलिखित शब्दों में विवरणः

" 44. जाँच के हस्तांतरण के लिए विवाद का आकलन करने में सी. बी. आई. के लिए, हमने निर्णय लेने की गणना को शामिल किया है।

अभिलेख पर अभिकथन और प्रस्तुतियाँ जिनकी ओर से आग्रह किया गया है

याचिकाकर्ता। हम ऐसा कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो एक जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना। इस प्रकार धारण करने में, हमारे पास है

पूर्ववर्ती की सुसंगत पंक्ति में वर्तनी परीक्षणों को लागू किया

यह न्यायालय। उन्हें पूरा नहीं किया गया है। एक व्यक्ति के तहत

जाँच के तरीके के बारे में व्यक्ति आय या अप्रमाणित आरोप (जैसा कि वर्तमान में है)

पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव का मामला) जाँच को वैध प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारना चाहिए

कानून और असाधारण शक्ति के आह्वान का वारंट

इस न्यायालय द्वारा जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए। अदालतें

एक हस्तांतरण करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण करें

असाधारण स्थितियों में जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कि

आपराधिक न्याय के प्रशासन की पवित्रता संरक्षित है।

इस विचार के साथ कि नियमित स्थानांतरण केवल विश्वास नहीं करेंगे कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में जनता का विश्वास लेकिन यह भी प्रदान करता है

अर्थहीन असाधारण परिस्थितियाँ जो वारंट करती हैं

जाँच को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग। होने के नाते

संतुलित और रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ माना जाता है

याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए कथन और प्रस्तुतियाँ, हम पाते हैं

कि प्रकृति का कोई मामला जो परीक्षण के दायरे में नहीं आता है

इस न्यायालय के पूर्वजों में उल्लिखित किया गया है

जाँच के हस्तांतरण के लिए "।

(जोर दिया गया)

22. दूसरा, इस मामले के तथ्यों में, आरोप पत्र जो है -

24 अक्टूबर 2020 को 5 को सक्षम अदालत में प्रस्तुत किया गया है

(सी. आर. एल.) 2020 का 130,19 मई 2020 को निर्णय लिया गया डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम।

एसएमटी। अनीता अग्रवाल और ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नवंबर 2020। आरोप-पत्र प्रस्तुत करना किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, जब वर्तमान मामले की तरह, जांच दूषित है और न्याय मिलने की वास्तविक संभावना है।

विक्षेपित। विनय त्यागी बनाम इरशाद 1 5 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के माध्यम से बोलते हुए कहा हैः

" 43. इस स्तर पर, हम एक और सुस्थापित सिद्धांत भी बता सकते हैं

आपराधिक न्यायशास्त्र जो उच्च न्यायालयों के पास है

संहिता की धारा 482 या यहां तक कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र

"आगे की जाँच" का निर्देश देने के लिए भारत का संविधान, "ताजा"

या "डी नोवो" और यहाँ तक कि "रीइन्वेस्टीगेशन"। ताज़ा "", नया "और

" पुनर्निरीक्षण "पर्यायवाची अभिव्यक्तियाँ हैं और उनका परिणाम

कानून एक ही होगा। उच्च न्यायालय भी निहित हैं

एक एजेंसी से जांच स्थानांतरित करने की शक्ति के साथ दूसरे को, न्याय के उद्देश्य प्रदान किए गए हैं इसलिए ऐसी मांग करें

कार्रवाई। बेशक, यह भी एक तय सिद्धांत है कि यह शक्ति

उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए

और बड़ी सावधानी के साथ।

(जोर दिया गया)

अदालत ने कहा कि जहां भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है

न्यायालय के लिए, यहां तक कि यह न्यायालय भी सामान्य रूप से विशेष रूप से विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपकर जांच को फिर से नहीं खोलेगा। हालांकि, एक उचित मामले में, जब न्यायालय को लगता है कि पुलिस द्वारा जांच उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं रही है और पूर्ण न्याय करने के लिए, जहां मामले के तथ्यों की मांग है कि जांच को एक विशेष एजेंसी को सौंप दिया जाए, तो एक उच्च न्यायालय ऐसा करने के अधिकार से वंचित नहीं है। (दिशा वी. गुजरात राज्य [(2011) 13 एससीसी 337: (2012) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 628] और रुबाबुद्दीन शेख बनाम। गुजरात राज्य [(2010) 2 एससीसी 200: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1006)

पूजा पाल बनाम भारत संघ 1 में, इस मामले की दो न्यायाधीशों की पीठ

अदालत ने न्यायमूर्ति अमिताव रॉय के माध्यम से बोलते हुए कहा कि इस अदालत पर निम्नलिखित शर्तों में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

" 79. पूर्ण निषेध के विरुद्ध पूर्ववर्ती आदेश

सी. बी. आई. जैसी किसी भी निष्पक्ष एजेंसी को जाँच का कार्य सौंपना, सामान्य जाँच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करना

15 (2013) 5 एस. सी. सी. 762

16 (2016) 3 एससीसी 135।

कानून में इसके बावजूद, एक निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच को सुरक्षित करने और न्याय प्रशासन तंत्र में पीड़ितों और आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए, इस तरह की पहल की गारंटी देने वाली एक असाधारण तथ्य स्थिति, इस प्रकार निर्विवाद रूप से पूर्ण है और समय के साथ पवित्र है। हालाँकि, इस तरह का उपाय किसी भी तरह से निश्चित रूप से या नियमित रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी देने के हितकारी उद्देश्य को पूरा करने और प्रभावी बनाने के लिए इसे अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए।

सभी के साथ समान व्यवहार करके, भय या पक्षपात के बिना न्याय वितरण का स्वतंत्र और सीधा तंत्र।

81. के पहलुओं पर न्यायिक रूप से प्रस्तावित प्रस्ताव

पक्षों को न्याय दिया। 83 ..... यद्यपि न्यायालय द्वारा उचित, निष्पक्ष, निष्पक्ष और प्रभावी जाँच के अभाव की संतुष्टि, जिससे उसकी विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का क्षरण होता है, आगे की जाँच या पुनर्निरीक्षण के निर्देश के लिए पूर्व शर्त है, तथापि आरोप पत्र प्रस्तुत करना या मुकदमा लंबित होना किसी भी तरह से निषेधात्मक नहीं हो सकता है।

बाधा। यह तय करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और परिवेशक परिस्थितियों का एकल मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा कि खुलासा करने के लिए आगे की जांच या पुनः जांच की आवश्यकता

सच्चाई और पक्षों को न्याय दें "।

इसी तरह, धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य 1 में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीश एच, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के माध्यम से बोलते हुए (के रूप मेंएड मुख्य न्यायाधीश तब थे), मुकदमे के चरण की परवाह किए बिना, सी. बी. आई. को प्रत्यावेदन स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति को बरकरार रखा। इसमें कहा गयाः

एजेंसी। उद्देश्य यह है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई तब तक काफी कठिन हो सकती है जब तक कि कोई निष्पक्ष सुनवाई न हो।

6) 4 एस. सी. सी. 160 डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। एसएमटी। अनीता अग्रवाल और

ओआरएस। ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जांच पड़ताल की। हम पूरी तरह से सचेत हैं कि आगे के लिए दिशा

किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच बहुत कम समय में जारी की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में दर्शाए गए तथ्य हमें उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि न्याय का उद्देश्य आदेश देता है
कि पीड़ित का कारण, मृतक का पति, जवाब देने का हकदार है ताकि न्याय की विफलता से बचा जा सके। इसलिए, इस मामले में मामले का चरण शासी कारक नहीं हो सकता है।

25. ..... यदि जाँच के संबंध में कोई गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, तो क्या एक संवैधानिक अदालत को अपने हाथ बंद कर के स्वीकार करना चाहिए

प्रस्ताव है कि जैसे-जैसे मुकदमा शुरू हुआ है, मामला इससे परे है? यह अभियोजन पक्ष का "दौरा करने का बल" है और अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं तो यह "उचित निर्णय" बन गया है, लेकिन हमारे विचार में संवैधानिक अदालतों के अधिकार को दबाया या दबा नहीं जा सकता है। अच्छा या विवादास्पद "।

23. अभिलेख पर उभरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें अभिलेख के पूर्व भाग में स्वीकार किया गया है।

निर्णय में, हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की आगे की जांच सी. बी. आई. को सौंपना आवश्यक है। घटना स्थल पर पहुँचने के चरण से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक जांच अधिकारियों का आचरण प्रक्रिया की मजबूती में विश्वास पैदा नहीं करता है। आरोप-पत्र का अवलोकन तथ्यों और आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अनुमान के संदर्भ में जांच अधिकारियों के कर्तव्य का एक निष्पक्ष प्रतिपादन दर्शाता है जब शादी के सात साल के भीतर मृत्यु हो जाती है। द.

आरोप-पत्र को अग्रेषित करने के कुछ दिनों बाद दायर जवाबी हलफनामे में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा लिया गया रुख, सुसाइड नोट की सत्यता, चोटों की चिकित्सा जांच और मृतक के पिछले गर्भपात के संबंध में आरोप-पत्र में दर्ज जांच के दायरे से परे है। मृतक, उसके पिता (मुखबिर) और आरोपी के बीच पैसे के लेन-देन के महत्वपूर्ण तथ्य; और ए 2, मुखबिर और मृतक के कॉल इतिहास का पता नहीं चला है। 09 सितंबर 2020 को गैर-जमानती वारंट जारी करने और 22 सितंबर 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से दिए गए अंतरिम संरक्षण के बीच आवेदकों की हिरासत में पूछताछ का कोई प्रयास नहीं किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुनवाई के दौरान पूछताछ करने पर, राज्य के वकील ने जवाब दिया कि हत्या के आरोप पर कोई जांच नहीं की गई थी। यह वास्तव में एक उपहास होगा यदि यह न्यायालय [2020] 14 एस. सी. आर.

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के चरण या प्रश्न की प्रकृति की परवाह किए बिना, अब तक की गई जांच में स्पष्ट कमियों को नजरअंदाज करें। आगरा में संपत्ति और प्रभाव वाले धनी व्यक्तियों के रूप में अभियुक्त की स्थिति और अब तक की जांच के संचालन से इस न्यायालय का आगरा द्वारा आगे की जांच का निर्देश देने में विश्वास कम हो जाता है। एक ही अधिकारी। न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा यदि न्यायालय अपनी जांच के दायरे को अग्रिम जमानत देने के विवेक तक सीमित रखता है और इस संभावना को नजरअंदाज करता है कि मुकदमा सबसे अच्छी जांच या सबसे खराब पक्षपाती जांच के आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

24. श्री के. एम. नटराज, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने

श्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ इन कार्यवाही में पेश हुए और कहा कि सी. बी. आई. इस अदालत के आदेशों का पालन करेगी।

ई. सारांश

25. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और निम्नलिखित जारी करते हैं -

दिशा निर्देशः

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश

((i)

प्रत्यर्थियों द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने वाला इलाहाबाद का न्यायालय-अभियुक्त निर्धारित रहेगा।

एक तरफ और उन्हें दी गई जमानत रद्द हो जाएगी;

और

सी. बी. आई. को आगे की जाँच करने का निर्देश दिया गया है

((ख)

2020 के अपराध No.0623 मामले से उत्पन्न होने वाला मामला पुलिस स्टेशन ताजगंज, जिला आगरा, दिनांक 7 अगस्त 2020 में पंजीकृत।

26. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचि

काओं का निपटारा